

**कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून**  
**वनादेश सं० ०५ / १-१२(२०) देहरादून दिनांक, २२ दिसम्बर, २०१८**

**पदोन्नति/तैनाती**

इस कार्यालय के पत्रांक ९१३/१-१२(२०) दिनांक १९-१२-२०२०१८ द्वारा मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति समिति का गठन किया गया था। पदोन्नति समिति की दिनांक २०-१२-२०१८ को बैठक आयोजित की गयी। पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित वरिष्ठ सहायक वेतनमान रू० २९२००-९२३०० वेतन मैट्रिक्स लेवल-५ के कार्मिकों को प्रधान सहायक वेतनमान ३५,४००-१,१२,४०० वेतन मैट्रिक्स लेवल ६ के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर उनकी तैनाती उनके नाम के सम्मुख कॉलम-४ में अंकित कार्यालय में जनहित में की जाती है :-


क्र० सं०	नाम	वर्तमान कार्यालय जिसमें कार्यरत हैं	पदोन्नति के उपरान्त तैनाती का कार्यालय
१	२	३	४
१	श्रीमती रेखा मेहरा	मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना हल्लानी	मु०व०सं० वानिकी प्रशिक्षण अकादमी हल्लानी
२	श्री संजय सनवाल	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त हल्लानी	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त हल्लानी
३	श्रीमती दीपा आर्या	प्र०व० नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल	व०सं० दक्षिणी कुमाऊ वृत्त नैनीताल
४	श्री मनीष नेगी	प्र०व० कालागढ टाइगर रिजर्व प्रभाग लैन्सडोन	प्र०व० कालागढ टाइगर रिजर्व प्रभाग लैन्सडोन
५	श्रीमती हेमा भट्ट	निदेशक राजाजी राष्ट्रीय पार्क देहरादून	प्र०व० देहरादून वन प्रभाग देहरादून
६	श्रीमती मीरा फुलोरिया	वन वर्धनिक, साल क्षेत्र, हल्लानी	वन संरक्षक, वन अनुसंधान हल्लानी
७	श्री देशदीपक भट्ट	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त अल्मोडा	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त अल्मोडा
८	श्री चन्द्रशेखर भट्ट	प्र०व० चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत	प्र०व० चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत

१. उक्त कर्मचारियों द्वारा पदोन्नति का परित्याग करने पर उत्तराखण्ड शासन वित्त (वे०आ०-सा०नि०) अनुभाग-७ सं० ११/xxvii(7)30(14)/2017 दिनांक १७-०२-२०१७ के संलग्नक-१ के बिन्दु सं० २२ में दिये गये प्राविधानों के अनुसार अग्रोत्तर कार्यवाही की जायेगी।

२. संबंधित नियंत्रक अधिकारी उपरोक्त पदोन्नत कार्मिकों को प्रत्येक दशा में दिनांक **११-०१-२०१९** तक कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपरोक्त तैनाती स्थल के लिए कार्यमुक्त कर दें और यदि आवश्यकता पडे तो "एक तरफा" अवमुक्त किया जाये।

३. यदि संबंधित कार्मिक द्वारा निर्धारित तिथि तक पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान नही दिया जाता है तो संबंधित का पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

४. कार्मिक की पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान अथवा पदोन्नति स्वीकार न करने संबंधी सूचना इस कार्यालय व प्रमुख वन संरक्षक प्रशासन, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक HoFF, उत्तराखण्ड, देहरादून को कार्मिक के अवमुक्त/योगदान के तत्काल पश्चात अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाये।



(मनोज चन्द्रन)

मुख्य वन संरक्षक

मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक  
प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।



संख्या 05 / 1-12(20) दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आदेश में अंकित समस्त कार्यालय।
2. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख वन संरक्षक (प्रशासन), कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक HoFF, उत्तराखण्ड।
4. संबंधित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
5. आई0टी0जी0सी0, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट में अपलोड हेतु।
6. अधिष्ठान/गार्ड बुक।

(मनोजे चन्द्रन)

मुख्य वन संरक्षक

मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक

प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Rowp